कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

क्रमांक 2024/ समुकाअ/चिप्स/2020 रायपुर, दिनांक 25/11 /2020

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
जशपुर वनमंडल, जशपुर, छत्तीसगढ़

विषय : आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी, रायपुर द्वारा जशपुर जिले के जशपुर वन मंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र तपकरा एवं पत्थलगांव में भारतनेट प्रोजेक्ट फेज–2 के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु 4.245 हे वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव। पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/42882/2019

संदर्भ : छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ–5–04/2020/10–2 दिनांक 09.11.2020।

—00—

महोदय,

विषयान्तर्गत अवगत हो कि जशपुर जिले के जशपुर वन मंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र तपकरा एवं पत्थलगांव में भारतनेट प्रोजेक्ट फेज–2 के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसे आपके द्वारा अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को प्रेषित किया गया है।

संदर्भित पत्र के परिपालन में उक्त प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा जो जानकारी चाही गई है उसका विवरण निम्नानुसार है –

बिंदु क्र.	चाही गई जानकारी	जानकारी का विवरण
1	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 01 में आवेदक विभाग का मांगपत्र सम्बन्धी चेकलिस्ट क्रमांक 01 की जानकारी प्रदाय की गई है। उक्त चेकलिस्ट क्रमांक 01 में आवेदक विभाग का मांगपत्र सम्बन्धी विवरण स्पष्ट नहीं है कृपया संशोधित प्रदाय करने का कष्ट करे।	संशोधित चेकलिस्ट क्रमांक 01 में आवेदक विभाग का संशोधित मांगपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

THE DIVISIONAL FOREST OFFICER
No. 27-11-20

Scanned with CamScanner

2	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 26 से 31 में आवेदक वनमंडलाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र –3) प्रदाय किया गया है। जिसमे बिंदु क्रमांक 12 में यह जानकारी दिया जाना है कि आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है कि नहीं? यदि हाँ तो संक्षित विवरण देवे। इसके समक्ष उत्तर स्वरुप वनमंडलाधिकारी द्वारा निरंक लेख किया गया है जी सही नहीं है। उत्तर हाँ अथवा नहीं में होना चाहिए अतः वनमंडलाधिकारी से संशोधित प्रपत्र –3 प्राप्त कर प्रेषित करे।	प्रपत्र –3 में उक्त संशोधन आपके कार्यालय द्वारा किया जाना है।
3	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 33 के बिंदु क्र. 3 में Details of displacement of people due to the project, if any? के सम्बन्ध में जानकारी प्रदाय की जानी है इसके समक्ष उत्तर स्वरुप Nil लेख किया गया है। कृपया इस सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी प्रदाय करे।	जशपुर जिला के जशपुर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के सीमा के अंतर्गत उनके मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। आवेदित वनभूमि में कोई परिवार निवासरत नहीं है अथवा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है जिससे उन्हें विस्थापित करना पड़े अतः इस जानकारी स्वरुप Nil लेख किया गया है।
4	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 1, 3, 9, 10, 11, 48, 50, 53 तथा पृष्ठ क्र. 56, 58 में प्रदायित दस्तावेज में जशपुर के स्थान पर जषपुर लेख किया गया है। कृपया उक्तानुसार प्रस्ताव में जशपुर शब्द के को संशोधित कर प्रेषित करने का कष्ट करे।	प्रस्ताव के उक्त पृष्ठों में लिपिकीय त्रुटि है जिसे संशोधित कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 4 बिन्दुओ में चाही गई जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू– प्रबंध), अटल नगर, नवा रायपुर, (छत्तीसगढ़)।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़